# न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

(1) अपील संख्या 12/148/2019 | प्रवेश तिथि 15–10–2019 | निर्णय दिनांक 18–11–2020

01–जगदीश पुत्र श्री नत्थू जाति चमार निवासी ग्राम बल्लूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01–क्षैत्रीय वन अधिकारी बहरोड जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय सहायक वन संरक्षक अलवर दिनांक 08–08–2012 अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम

(2) अपील संख्या 12/149/2019 | प्रवेश तिथि 15–10–2019 | निर्णय दिनांक 18–11–2020

01–ताराचन्द पुत्र झम्मन (मृतक)
1/1. गैदी पत्नि स्व0 ताराचन्द
1/2. ओमप्रकाश
1/3. हंसराज
1/4. महादेवाराम पुत्रान स्व0 ताराचन्द
1/5. शकुन्तला पुत्री स्व0 ताराचन्द जाति चमार निवासी ग्राम बल्लूवास तह0मुण्डावर जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01–क्षैत्रीय वन अधिकारी बहरोड जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

जिला कलेक्टर
अलवर (राज0)

अपील विरूद्व निर्णय सहायक वन संरक्षक अलवर दिनांक 08–08–2012 अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित:–

01. श्री परमानन्द मेहरा –वकील अपीलान्ट
02. श्री दीपक मीना –राजकीय अधिवक्ता

## निर्णय

उक्त दोनों अपीलों एक ही अपीलान्ट ने यह अपील जिला सहायक वन संरक्षक अलवर के निर्णय दिनांक 08-08-2012 जिसके द्वारा अपीलान्ट्स को आराजी खसरा नम्बर 2449 वनखण्ड मुण्डावर कुल क्षेत्रफल 20.4900 हैक्टर में से 24 X 20 वर्गफुट भूमि पर पक्का निर्माण कर एक कमरा बनाकर किए गए अतिक्रमी का दोषी मानते हुए बेदखल करने एवं 400/-- रूपये शास्ती वसूल करने के आदेश दिये गये है से व्यथित होकर पेश की है। उक्त दोनों प्रकरण भू प्रबन्धक अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर से आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरणों में उभयपक्ष की सुनवाई एव साक्ष्य निर्णय के पैरा 05 में किये गये विवेचन के परिप्रेक्ष्य में पुनः विशद विश्लेषण प्रेतिप्रेषित कर भिजवाई गई. दोनों अपीलों बहस सुनी जाकर निर्णय किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक-पृथक से सलंग्न की जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2449 ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जो ग्राम पंचायत मुण्डावर के अधिनस्थ व अधिकार की भूमि थी। इस भूमि में से 45X30 फुट आबादी भूमि का विक्रय विलेख (प्लॉट का पट्टा संख्या 10 व 11) अपीलान्ट्स का सन 1975 में तहसीलदार मुण्डावर द्वारा जारी किया गया था। तब से आज तक अपीलान्ट्स काबिज चले आ रहें है और भू-खण्ड पर रिहायशी मकान बनाकर निवास कर रखा है। तथा नल, बिजली व टेलीफोन के कनेक्शन भी ले रखे है। अपीलान्ट्स ने वन विभाग की किसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं कर रखा है। विवादित भूमि वन विभाग की न होकर ग्राम पंचायत की भूमि है आबादी की भूमि के सवंध में धारा-91 की कार्यवाही नही चल सकती है। तहत अदालत ने निर्णय से पूर्व अपीलान्ट्स को ना तो सुनवाई एवं साक्ष्य का मौका दिया और ना ही पैमाईश करवाकर रिपोर्ट प्राप्त की जो बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। उक्त दोनों प्रकरण माननीय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर से रिमान्ड होकर भिजवाई गई है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी का नोटिफिकेशन के द्वारा ही संरक्षित वन भूमि घोषित हुई है वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में वन भूमि अंकित है। अपीलान्ट्स का आराजी से कोई सबंध नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

जिला कलेक्टर
अलवर (राज0)

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि विवादित आराजी आबादी की है और आबादी भूमि में से ही तहसीलदार द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख जारी किया है। तहत अदालत ने बिना अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिए तथा अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना एवं मौका निरीक्षण किये, बिना पैमाईश किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया अपीलान्ट्स ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट्स को आबादी भूमि का विलेख जारी हुआ हों। विवादित आराजी वन विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वन विभाग की आराजी पर किसी को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नही है और ना ही वन विभाग की भूमि पर पट्टा जारी किया जा सकता है। विवादित आराजी वन विभाग की आराजी है और अपीलान्ट्स को वन विभाग की आराजी

पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नही है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाकर सहायक वन संरक्षक अलवर का आदेश दिनांक 08–08–2012 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड सहित भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19–11–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर, अलवर